गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

(केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009, क्रमांक 25 के अंतर्गत स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

GURU GHASIDAS VISHWAVIDYALAYA, BILASPUR (C.G.)

(A Central University established by the Central University Act., 2009 NO.25 of 2009)

Web Site – www.ggu.ac.in, ph. No. 07752-260021, fax No. 07752-260148,154

क्र.1088/अका./शोध/फार्मेसी/2023 बिलासपुर, दिनॉक 10 FEB 2023

प्रति,

Ms. Anjali Murmu (Research Scholar)
Department of Pharmacy
Guru Ghasidas Vishwavidyalaya,
Bilaspur (C.G.)

विषयः– यू.जी.सी. (एम.फिल./पीएच.डी. उपाधि के लिए न्यूनतम मानक एवं प्रकिया) विनियम, 2016 के प्रावधानानुसार पीएच0डी0 उपाधि के लिए पंजीयन।

विभागीय शोध समिति की बैठक दिनॉक 21.12.2022 में लिए गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में शोध कार्य हेतु (विषय) फार्मेसी अध्ययनशाला–प्राकृतिक संसाधन विद्यापीठ में आपका पंजीयन सक्षम संस्तुति उपरान्त निम्नानुसार किया जाता है:–

शोध का विषय शीर्षक		शोध निर्देशक	
DESIGN, SYNTHESIS AND EVALUATION OF ANTICANCER ACTIVITY OF SOME NEW 1,3,4- OXADIAZOLE DERIVATIVES		Dr.Jagadish singh, Assistant Professor, Department of Pharmacy, Guru Ghasidas Vishwavidyalaya Bilaspur (C.G.)	
शोध केन्द्र	पंजीयनक्रमॉक	पंजीयनतिथि	नामांकनक्रमॉक
Department of Pharmacy, Guru Ghasidas Vishwavidyalaya. Bilaspur (C.G.)	215262601	21.12.2022	GGV/19/6219

1 आप यू.जी.सी. (एम.फिल./पीएच.डी. उपाधि के लिए न्यूनतम मानक एवं प्रकिया) विनियम, 2016 के प्रावधानों एवं विश्वविद्यालय शोध अध्यादेश एवं विनियम में उल्लिखित नियमों के अनुसार पीएच.डी.शोध कार्य करेंगे। विश्वविद्यालय शोध विनियम 18 के नियमन R-11 केअनुसार शोध पंजीयन तिथि से प्रति छःमाही प्रगति प्रतिवेदन एवं उपस्थिति का लेखा शोध निर्देशक/ RAC द्वारा अनुशंसित एवं DRC/Dean के संस्तुति /अनुमोदन के पश्चात जमा करना होगा। यदि निरंतर दो सेमेस्टर प्रतिवेदन असंतोषजनक पाये गये अथवा एक वर्ष तक प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ तो शोध–पंजीयन स्वयमेव निरस्त हो जायेगा। शोध ग्रन्थ प्रस्तुत करने की तिथि से लगभग एक माह पूर्व छः प्रतियों में शोध ग्रन्थ का सार संक्षेप (समरी) शोध निर्देशक के माध्यम से प्रस्तुत करना अनिवार्य है ।

क्रमशः

2 यह पंजीयन छःवर्ष तक जीवित रहेगा तथा पंजीयन तिथि से छःवर्ष के भीतर शोधार्थी द्वारा शोध ग्रंथ जमा नहीं करने पर पंजीयन छःवर्ष उपरांत स्वतः निरस्त हो जावेगा । शोध पंजीयन अवधि में वृद्धि विश्वविद्यालय शोध विनियम 2018 के नियमन R-10 अधीन रहेगा ।

3. शोध ग्रंथ प्रस्तुतीकरण/प्रोसेसिंग शुल्क रूपये 5000/–(परिवर्तनीय) विश्वविद्यालय कोष में चालान के द्वारा देय होगा।

4. शोध विनियम के प्रावधानानुसार शोधार्थी को निर्धारित समयावधि में शोध ग्रंथ प्रस्तुत करना होगा । छः माही प्रगति प्रतिवेदन एवं शोध ग्रंथ जमा करना शोधार्थी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी विश्वविद्यालय द्वारा इस संबंध में स्मरण नहीं कराया जायेगा ।

5. शोधार्थी का पंजीयन एवं शोध कार्य विश्वविद्यालय के शोध विनियम–2018 के अधीन होगा । अतः शोधार्थी को यह सलाह दी जाती है कि विश्वविद्यालय शोध विनियम–2018 के प्रावधानों का भली–भांति अध्ययन कर लेवें ।

आदेशानुसार,

सहा. कुलसचिव(अका.)

क्रमांक 1089 /अका0/शोध/फार्मेसी/2023

बिलासपुर, दिनॉक 10 FEB 2023

प्रतिलिपिः–

1 शोध निर्देशक–डॉ0, जगदीश सिंह, सहायक प्राध्यापक, फार्मेसी विभाग, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर छ0ग0 को इस निवेदन के साथ प्रेषित है कि वे ऊपर लिखित शोध अध्यादेश/विनियम के प्रावधानानुसार संलग्न प्रारूप में शोध छात्र का प्रत्येक सेमेस्टर छःमाही प्रगति प्रतिवेदन विश्वविद्यालय को अनिवार्य रूप से प्रेषित करें । विश्वविद्यालय द्वारा इस संबंध में अलग से पत्र व्यवहार नहीं किया जायेगा।

2 विभागाध्यक्ष, फार्मेसी विभाग, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर छ0 ग0 की ओर सूचनार्थ।

3 सहायक कुलसचिव, गोपनीय शाखा गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ।

4 ग्रंथपाल, केन्द्रीय ग्रंथालय, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर को सूचनार्थ।

5 संबंधित नस्ती प्रति।

सहा. कुलसचिव(अका.)
गुरू घासीदासविश्वविद्यालय,
बिलासपुर(छ.ग.)